मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

विषयः—कार्यपालन यंत्री (वि./यां.) से अधीक्षण यंत्री (वि./यां.) के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.10.2014 का कार्यवाही विवरण ।

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :—

1.	प्रो.एस.पी.गौतम सदस्य म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर	अध्यक्ष
2.	श्री राधेश्याम जुलानिया प्रमुख सचिव म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग, भोपाल	सदस्य
3.	श्री एम.जी. चौबे, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल	सदस्य
4.	श्री एन.के.परिहार अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता भोपाल	सदस्य (म.प्र.लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के नियम—11 के प्रावधान अनुसार

1. **प्राधिकार एवं सिद्धांत**

यह चयन म.प्र.जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1968 सहपठित म.प्र.लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है । पदोन्नतियां योग्यता—सह—वरिष्ठता के सिद्धांत पर आधारित हैं ।

2. **न्यायालयीन स्थगन**

इस चयन के संबंध में कोई न्यायालयीन स्थगन नहीं है ।

3. **वरिष्ठता एवं पदक्रम सूची**

दिनांक 1.4.2007 की स्थिति में जारी पदक्रम सूची को पदोन्नति का आधार बनाया गया है । इस वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन के संबंध में कोई न्यायालयीन स्थगन अथवा ऐसा कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है जिसके पालन के अभाव में बैठक किया जाना युक्तियुक्त न हो ।

29.10.14

4. अर्हकारी सेवा

म.प्र.सिंचाई अभियांत्रिकी (राजपत्रित) भरती नियम, 1968 के अनुसार अधीक्षण यंत्री (वि./यां.) के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यपालन यंत्री (वि./यां.) के पद पर कार्य करने की न्यूनतम अर्हतादायी सेवा 05 वर्ष निर्धारित है । उक्त नियम में संशोधन अनुसार अधीक्षण यंत्री के पद पर पदोन्नति हेतु कंप्यूटर तथा इंटरनेट उपयोग करने का ज्ञान आवश्यक अर्हता है। कंप्यूटर की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

5. विचार क्षेत्र

म.प्र.लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के नियम–7(1) के अनुसार विचार क्षेत्र में भरे जाने वाली रिक्तियों को दुगुना करके 04 जोड़ने का फार्मूला है। इस प्रकार 02 पदों के लिए विचार क्षेत्र में केवल 01 अधिकारी उपलब्ध हैं ।

6. संनिष्ठा प्रमाण पत्र

विचार क्षेत्र में सम्मिलित सभी अधिकारियों की संनिष्ठा उनके गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा प्रमाणित की गई है ।

7. पदोन्नति की कसौटियां

(I) संनिष्ठा संदेह से परे हो एवं प्रमाणित हो ।

(II) पूर्ववर्ती 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन समग्र रूप से (बेंचमार्क ग्रेड) "बहुत अच्छा" श्रेणी का हो। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. –सी–3–7/2002/3/एक, दिनांक 29.09.2004 के अनुसार 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों के अंकों का न्यूनतम योग 13 अंक होना चाहिए । यदि किसी अधिकारी के 05 वर्षों का मूल्यांकन 20 अंकों का है तो उसे "उत्कृष्ट श्रेणी" में वर्गीकृत किया जायेगा एवं उसे चयन सूची में "बहुत अच्छा" श्रेणी के ऊपर स्थान दिया जायेगा ।

(III) किसी भी अधिकारी का अंतिम दो वर्षों का मूल्यांकन 'ग' श्रेणी का नहीं होना चाहिए।

8. रिक्तियों की गणना

विभाग में अधीक्षण यंत्री (वि./यां.) के कुल 02 पद रिक्त हैं । रोस्टर अनुसार 01 पद अनुसूचित जनजाति एवं 01 पद अनुसूचित जाति की रिक्तियां हैं।

9. गोपनीय प्रतिवेदन का मूल्यांकन

समिति द्वारा विचार क्षेत्र के सभी कार्यपालन यंत्रियों के वर्ष 2009 से 2013 तक के गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन किया गया । निर्धारित कसौटियों के आधार पर

29.10.14

समिति ने निम्न कार्यपालन यंत्रियों को अधीक्षण यंत्री (वि./यां.) के पद पर पदोन्नति हेतु समिति ने निम्न अनुशंसा की :–

(अ) चयन सूची – निरंक

(ब) परिभ्रमण –

स.क्र.	अधिकारी का नाम	कारण
1	श्री भूरा सिंह रावत, (अजजा)	वर्ष 2010 का गो.प्र. अनुपलब्ध एवं 2011 का 07 माह का गो.प्र. अनुपलब्ध

(स) प्रतीक्षा सूची :– निरंक

(द) बंद लिफाफे की अनुशंसा– निरंक

अग्रणित पद :– अनुसूचित जाति संवर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण 01 पद अग्रणित किया गया ।

(प्रो.एस.पी.गौतम) सदस्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष	(राधेश्याम जुलानिया) प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग सदस्य	(एम.जी.चौबे) प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग सदस्य	(एन.के परिहार) अधीक्षण यंत्री (प्र.) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग सदस्य